मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 29/04/2022

क्रमांक 773 /3936/2021/38/1 :: विभागीय आदेश क्रमांक 1619/3103/ 2021/38-1, दिनांक 31.08.2021 के सरल क्रमांक 27 पर अंकित श्रीमती मंजुला अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, शासकीय गीतांजली कन्या पीजी महाविद्यालय, भोपाल का स्थानांतरण प्रशासकीय आधार पर चंद्रशेखर आजाद शासकीय महाविद्यालय, सिहोर किया गया।

2/ उक्त स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध श्रीमती अग्रवाल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में डब्ल्यू.पी.क्रमांक 18467/2021 दायर की गई, जिमसें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.09.2021 में याचिका को dispose of किया गया है। माननीय न्यायालय का ऑपरेटिंग पैरा निम्नानुसार है :-

Heard learned counsel for both the parties and on perusal of the record, a specific question was put to the petitioner since long. She is working at present place of posting and fairly submits that she is working at Government Geetanjali Girls College (Autonomous), Bhopal since last 2005 and her services is almost 17 years in the aforesaid college. Now she has been subjected to transfer on administrative ground. The interference in the transfer order is limited and in respect of transfer is settled in the case of R.S.Choudhary Vs. State of M.P. and others reported in ILR (2007) MP 1329 and Mridul Kumar Sharma Vs. State of M.P. reported in ILR (2015) MP 2556. The petitioner failed to point out any such ground warranting interference however, in the interest of justice, this Court deems it appropriate to dispose of this writ petition with a direction to the petitioner to resubmit a detailed representation to respondent No.1 within a period of seven days and in turn respondent No.1 is directed to dwell upon the representation and pass a self contained speaking order within a period of 15 days from the date of receipt of certified copy of this order and communicate the outcome to the petitioner.

Needless to mention that this Court has not expressed any opinion on the merits of the case. With the aforesaid observations, this petition is disposed of.

3/ माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुक्रम में श्रीमती अग्रवाल द्वारा विभाग में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्थानांतरण निरस्त करने का अनुरोध किया है। श्रीमती अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के अनुक्रम में विभागीय अभिमत निम्नानुसार है :-

क्र.	स्थानांतरण निरस्त करने हेतु प्रस्तुत तथ्य	विभागीय अभिमत
i.	यह कि मेरा स्वास्थ्य विगत एक-दो माह से खराब है। अधिक तनाव एवं अवसाद के कारण दिनांक 21.08.2021 को मनोचिकित्सक डॉ. आर.एन. साहू का उपचार किया जा रहा है। विशेष ईलाज भोपाल में ही किया जा सकता है।	स्थानांतरण नीति की कंडिका 24 अनुसार गंभीर बीमारी से संबंधित जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
ii.	यह कि स्वास्थ्य खराब होने के कारण दिनांक 15.09.2021 से 17.09.2021 तक पारूल हॉस्पिटल में भर्ती रहकर इलाज कराया गया। अत्याधिक तनाव एवं अवसाद के कारण मनोचिकित्सक श्री एस.के. टंडन का इलाज चल रहा है।	------तदैव-------
iii.	यह कि पति श्री महेश गोयल भोपाल में कार्यरत है, जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है।	स्थानांतरण नीति से संबंधित नहीं है।
iv.	यह कि मेरी सेवानिवृत्ति को केवल 02 वर्ष 06 माह शेष है। अत: तनाव अधिक तनाव की सेवा कठिन हो रही है।	स्थानांतरण नीति से संबंधित नहीं है।
v.	मैं सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र के पद पर हू। सेटअप के अनुसारी मेरी पदस्थी है। मेरे स्थान पर प्राध्यापक की नियुक्ति सेटअप के विपरीत है। स्थानांतरण में समकक्ष पदाधिकारी होने का ध्यान नहीं रखा गया।	स्थानांतरण नीति से संबंधित नहीं है।
vi.	मेरे बच्चे भोपाल में उच्च शिक्षा अध्यननरत है। अत: देखभाल हेतु मुझे भोपाल में रहना आवश्यकत है।	स्थानांतरण नीति से संबंधित नहीं है।
vii.	वर्तमान में कोविड त्रासदी के दौर में मेरा परिवार से अलग रहकर कार्य करना कठिन है।	स्थानांतरण नीति की कंडिका 24 अनुसार गंभीर बीमारी से संबंधित जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।

viii.	मैं गैस पीड़िता महिला हूँ, मुझे उपचार का विशेष कार्ड भोपाल मेमोरियल गैस त्रासदी अस्पताल द्वारा जारी किया गया है, जिसकी मुझे उपचार की सुविधा केवल भोपाल में ही उपलब्ध है।	स्थानांतरण नीति से संबंधित नहीं है।

4/ डॉ. श्रीमती मंजुला अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, शासकीय गीतांजली कन्या पीजी महाविद्यालय, भोपाल में विगत 16 वर्षों से पदस्थ हैं। श्रीमती अग्रवाल का स्थानांतरण प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार किया गया है।

5/ डॉ. अग्रवाल प्रथम श्रेणी संवर्ग की अधिकारी है। स्थानांतरण नीति 2020-21 की कंडिका 50 के अनुक्रम में डॉ. अग्रवाल द्वारा स्थानांतरण के विरूद्ध प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य किए जाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया गया है। राज्य शासन एतद् द्वारा श्रीमती मंजुला अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, शासकीय गीतांजली कन्या पीजी महाविद्यालय, भोपाल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन विचारोपरांत अमान्य करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(शैलेन्द्र सिंह)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 29 /04/2022

पृष्ठा.क्र. 774 /3936/2021/38/1

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुडा भवन, भोपाल,
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल संभाग, भोपाल,
3. प्राचार्य, शासकीय गीतांजली कन्या पीजी महाविद्यालय, भोपाल,
4. प्राचार्य, चंद्रशेखर आजाद शासकीय महाविद्यालय, सिहोर,
5. संबंधित श्रीमती मंजुला अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, शासकीय गीतांजली कन्या पीजी महाविद्यालय, भोपाल,
6. गार्ड फाईल,

28.04.22
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग